न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

प्रकरण अपील (रसद)संख्या 58/20 **वर्ष 2020**

जीसीएमएस संख्या 2020/00124

बउनवानीः—जागृति महला एवं सहायता समूह दौनायचा, उ.मू.दुकानदार ग्राम पंचायत बिच्छीदोना भाग, तहसील मलारना डूँगर सवाईमाधोपुर

बनाम

जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर. द्वारा अभियोग संख्या 59/2015 एवं 87/2017 में पारित आदेश दिनांक 07.11.2017 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान फूड ग्रेन एवं असेसियल आर्टीकल रेगूलेसन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर 1976)

उपस्थितः—श्री अभय कुमार गुप्ता — वकील अपीलान्ट

श्री धर्मचन्द अग्रवाल (प्रवर्तन अधिकारी) — पैरोकार रसद

—:निर्णय :— **दिनांकः— 02.02.2021**

प्रस्तुत अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के अभियोग संख्या 59/2015 एवं 87/2017 मे पारित आदेश दिनांक 07.11.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है, जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर अदालत हाजा मे दर्ज रजिस्टर की गयी। तत्पश्चात रेस्पो. की तलवी जरिये नोटिस किये जाने के साथ ही अदालत मातहत का मूल अभिलेख तलब किया जाकर अपील के सन्दर्भ मे बहस वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य होने के कारण खारिज फरमाया जावें। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत बिच्छुदौना की 1/3 भाग का उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है। तथा बिना किसी शिकायत के उपभौक्ताओ को नियमित राशन सामग्री का वितरण किया जाता रहा है किन्तु राजनैतिक रंजिशवश ग्राम दौनायचा के उपभौक्ताओ द्वारा की गयी झूंठी शिकायत के आधार पर जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है। यह तर्क भी दिया कि जिला रसद अधिकारी द्वारा बिना वस्तुस्थिति एवं सुनवायी का अवसर दिये व बिना जॉच कराये दिनांक 26.11.2016 को अपीलान्ट की दुकान का प्राधिकार पत्र 90 दिवस के लिए निलम्बित कर जरिये पत्रांक 18.12.2015 एवं 8.2.2016 को जारी कर दुकान की जॉच के आदेश प्रवर्तन निरीक्षक को दिये गये जाने पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 18.2.2016 को जॉच कर जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने पर आदेश जैर अपील से अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र विधि विरूद्व तरीके से निरस्त किया गया है। इससे पूर्व अपीलान्ट [illegible] प्राधिकार पत्र जॉच विचाराधीन रखते हुए आदेश क्रमांक 221 दिनांक 11.3.2016 से [illegible] गया था। इस प्रकार अभियोग संख्या 59/2015 को निस्तारण होने के [illegible] /अभि./3782—3791 दिनांक 31.10.17 से प्राधिकार पत्र निलम्बित करते हुए दिनांक 7.11.2017 को निरस्त [illegible]ना विधि विरूद्व है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट की सुनवायी [illegible] जारी नोटिस दिनांक [illegible].2016, 21.4.17, 31.5.2017, 28.6.2017,14.7.2017,22.8.2017, 12.9.2017, 20.9.2017, 30.10.2017 मे से दिनांक 22.8.2017 के नोटिस की तामील अपीलान्ट को हुई थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:38:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

जिसमे आगामी तारीख 7.9.2017 नियत थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका मे तारीख पेशी 10.5.2016 से 27,5,2017 नियत होकर इसके बाद फिर 10.8.2016 नियत हुई तत्पश्चात 6.11.2017, 7.11.2017 नियत हुई है। इस प्रकार अपीलान्ट को सुनवायी हेतु प्राप्त नोटिस के दिन अधीनस्थ न्यायालय मे कोई तारीख पेशी नियत नही थी। उक्त आदेशिका के अनुसार अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर प्राप्त नही हुआ है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम पंचायत दौनायचा एवं बिच्छीदौना के उपभौक्ताओं द्वारा की गयी शिकायते निराधार है क्योकि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 18.2.2016 को की गयी उ.मु.दुकान की जॉच में अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता नही किया जाना पाया गया है। तथा शिकायतकर्ताओं के व्यक्तिगत बयान नही लेकर सामूहिक बयान लिये गये है जिसमे उपभौक्ताओं का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण विधि विरूद्व है। अपीलान्ट पर कोई गबन आरोप नही होने के बावजूद एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक साक्ष्य को नजर अंदाज कर राजनैतिक दबाव में आकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। राशन कार्ड संख्या 93,111,132,98,135,134,96,109,110 के उपभौक्ताओं को राशन कार्ड मे राशन सामग्री का इन्द्राज नही होने के आधार पर आरोप लगाया गया है जबकि राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 30.6.2016,19.7.2016,5.8.2016 को राशन सामग्री का पीओएस मशीन से वितरण किये जाने बाबत निर्देश जारी किये गये थे ऐसी स्थिति में वितरित राशन सामग्री का राशन कार्ड मे इन्द्राज करना कोई मायना नही रखती है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 9.9.2020 को होने पर नकल प्राप्त कर अपील अन्दर मयाद मय दफा के प्रार्थना के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया है।

पैरोकार रसद द्वारा दौराने बहस कथन किया कि उचित मूल्य दुकानदार जागृति महिला स्वंय सहायता समूह दौनायचा की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त उचित मूल्य दुकानदार की जॉच प्रवर्तन अधिकारी से करवायी गयी। दौराने जॉच डीलर द्वारा रसद सामग्री नही देना, मौके पर हसन खां ने स्टेट बीपीएल के कार्ड पर 3 माह का गेंहूँ नही देना पाया गया तथा सामूहिक बयानों मे भी उपभौक्ताओं ने रसद सामग्री का नियमित वितरण नही होना बताया। मौके पर राशन कार्ड संख्या 93,111,132,98,135,134,96,109,110 का अवलोकन किया जाने पर उपभौक्ताओं को राशन कार्ड मे राशन सामग्री नही देना पाया जाने पर पत्रांक 2116 दिनांक 26.11.2015 द्वारा अनुज्ञा पत्र निलम्बित किया व जॉच विचाराधीन रखते हुए आदेश क्रमांक 221 दिनांक 11.3.2016 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार की राशन सामग्री की आपूर्ति चालू कर दी गयी। अन्य अभियोग संख्या 87/2017 मे प्रवर्तन निरीक्षक मलारना डूॅगर द्वारा उचित मूल्य दुकानदार की जॉच करने पर रसद सामग्री उपलब्ध होने पर भी पीओएस मशीन में शुन्य ट्रान्जेक्शन किया है जिसके कारण उपभौक्ता खादय सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित रह जाने पर आदेश क्रमांक 3782–91 दिनांक 31.10.2017 द्वारा निलम्बित कर पत्रांक 3827–28 दिनांक 31.10.2017 से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसकी सुनवायी 15.11.2017 थी किन्तु उक्त दिनांक को अपीलान्ट द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया। इसके पश्चात अपीलान्ट को कई नोटिस जारी किये गये किन्तु उनका जवाब आज दि[illegible] प्रस्तुत नही किये जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ [illegible] आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या [illegible] का प्रयोग करते हुए प्राधिकार पत्र की प्रतिभूति राशि 1000/– रू सम्पहरण करते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखे जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:38:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उचित मूल्य दुकानदार जागृति महिला स्वंय सहायता समूह दौनायचा की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त उचित मूल्य दुकानदार की जॉच प्रवर्तन अधिकारी से करवायी गयी। दौराने जॉच डीलर द्वारा रसद सामग्री नही देना, मौके पर हसन खां ने स्टेट बीपीएल के कार्ड पर 3 माह का गेंहूँ नही देना पाया गया तथा सामूहिक बयानों मे भी उपभौक्ताओं ने रसद सामग्री का नियमित वितरण नही होना बताया। मौके पर राशन कार्ड संख्या में उपभौक्ताओं को राशन कार्ड में राशन सामग्री नही देना पाया जाने पर पत्रांक 2116 दिनांक 26.11.2015 द्वारा अनुज्ञा पत्र निलम्बित किया व जॉच विचाराधीन रखते हुए आदेश क्रमांक 221 दिनांक 11.3.2016 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार की राशन सामग्री की आपूर्ति चालू कर दी गयी। अन्य अभियोग संख्या 87/2017 मे प्रवर्तन निरीक्षक मलारना डूँगर द्वारा उचित मूल्य दुकानदार की जॉच करने पर रसद सामग्री उपलब्ध होने पर भी पीओएस मशीन में शुन्य ट्रान्जेक्शन किया है जिसके कारण उपभौक्ता खादय सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित रह जाने पर आदेश क्रमांक 3782–91 दिनांक 31.10.2017 द्वारा निलम्बित कर पत्रांक 3827–28 दिनांक 31.10.2017 से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसकी सुनवायी 15.11.2017 थी किन्तु उक्त दिनांक को अपीलान्ट द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया। अपीलान्ट की सुनवायी हेतु जारी नोटिस क्रमशः दिनांक 21.9.2016, 21.4.17, 31.5.17, 28.6.2017,14.7.2017,22.8.2017,12.9.2017,20.9.2017,30.10.2017 मे से दिनांक 22.8.17 के नोटिस की तामील अपीलान्ट को हुई थी जिसमे आगामी तारीख 7.9.2017 नियत थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका मे तारीख पेशी 10.5.2016 से 27,5,2017 नियत होकर इसके बाद फिर 10.8.2016 नियत हुई तत्पश्चात 6.11.2017, 7.11.2017 नियत हुई है अर्थात न्यायालय मे 7.9.2017 की तारीख पेशी नियत ही नही थी। इसी प्रकार दिनांक 31.10.2017 के नाटिस मे सुनवायी की तारीख 15.11.2017 नियत की गयी थी किन्तु मुताबिक आदेशिका उक्त दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय मे कोई तारीख नियत नही थी। इसके अलावा उपभौक्ताओं के सामूहिक बयानो के आधार पर अपीलान्ट को दोषी पाया गया है जबकि सभी उपभौक्ताओं के पृथक–पृथक बयान लिये जाने चाहिए थे। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर यह सिद्व होता है कि अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील से अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है जो न्यायोचित नही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को पुनः सुनवायी हेतु भिजवाया जाना उचित समझता हूँ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण जिला रसद अधिकारी को पुनः सुनवायी हेतु प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए सामूहिक बयान वाले उपभौक्ताओं को तलब कर उनके बयानो को रिकार्ड पर लिया जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे तथा निर्णय दिनांक तक उक्त अपीलान्ट का [illegible] ही रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील [illegible] अभिलेख की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:38:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 2.2.2021 को [illegible] लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर